- :: कार्यालय कलेक्टर, दुर्ग (छ.ग.) :: -

।। आदिवासी विकास शाखा ।।

फैक्स नं. 0788–2323655, ई–मेल – actwd.durg@gmail.com

क्रमांक / 621 / आ.जा.क. / 6 / फाउंडेशन प्रयास–टेंडर / 133 / 2018–19 दुर्ग, दिनांक 07/07/18

प्रयास आवासीय विद्यालय दुर्ग के अंतर्गत फाउंडेशन प्रयास (9वीं एवं 10वीं) में अध्यापन कार्य हेतु फैकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से "रूचि की अभिव्यक्ति" का पुन :आमंत्रण वर्ष 2018–19

मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2018–19 एवं 2019–20 हेतु प्रयास आवासीय विद्यालय, दुर्ग के अंतर्गत "फाउंडेशन प्रयास" में सत्र 2018–19 में कक्षा 9वीं एवं सत्र 2019–20 में कक्षा 10वीं का छत्तीसगढ माध्यमिक शिक्षा मंडल पाठ्यक्रम को अपनाते हुए छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए पंजीकृत संस्थाओं से फैकल्टी उपलब्ध कराने हेतु निविदा पुनः आमंत्रित की जाती है।

रूचि रखने वाली पंजीकृत संस्था, रूचि की अभिव्यक्ति का नमूना, शर्ते एवं कार्य क्षेत्र वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से डाउनलोड कर RS. 5000 / – का DD रूचि की अभिव्यक्ति के साथ तथा Rs. 200000/- का EMD सहायक आयुक्त आदिवासी विकास दुर्ग के पक्ष में देय होगा।

1. निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि – 18.07.2018
2. निर्धारित समय तक प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना – 20.07.2018
3. पात्र पाये गये संस्थाओ का समिति के समक्ष एवं तकनीकी मूल्यांकन – 23.07.2018
4. तकनीकी मूल्यांकन अंतर्गत संस्था के शिक्षकों द्वारा कक्षा प्रदर्शन (डेमो) – 25.07.2018

रुचि रखने वाली कोचिंग संस्था / उनके अधिकृत प्रतिनिधि तकनीकी निविदा खुलने के समय उपस्थित रह सकते है।

(कलेक्टर महो. द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर,
जिला–दुर्ग

अंतर्वस्तु

1. पृष्ठभूमि
2. प्रयास कार्यक्रम और फाउंडेशन प्रयास कार्यक्रम
3. कार्यक्रम के संचालन की प्रणाली
4. विद्यालय का नाम जिसके लिए रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है
5. सौपे गये दायित्व का उद्देश्य
6. कार्य का क्षेत्र
7. कार्य प्रणाली
8. संकाय की अनिवार्य रूप से वांछित योग्यता
9. कक्षा का आकार और विषय संकाय
10. सेवा और अनुबंध की अवधि
11. प्रमुख प्रदेय वस्तुए (KEY DELIVERABLES)
12. भुगतान क्रियाविधि
13. कुंजी प्रदर्शन सूचक (KPI's)
14. निविदा पूर्व बैठक एवं पूछताछ
15. EOI जमा करने की प्रक्रिया/शर्ते
16. गोपनीयता
17. चयन का विधि
18. पात्रता मापदंड
19. मूल्यांकन मापदंड
20. EOI जमा

प्रारूप – 1 आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रारूप – 2 पूर्व–योग्यता के लिए चेकलिस्ट

प्रारूप – 3 दस्तावेज आधारित मूल्यांकन के लिए चेकलिस्ट

प्रारूप – 4 सीए प्रमाणपत्र का प्रारूप

प्रारूप – 5 वर्तमान फैकल्टी का प्रपत्र

प्रारूप – 5 प्रस्तावित फैकल्टी का प्रपत्र

प्रारूप – 6 वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप

- :: कार्यालय कलेक्टर, दुर्ग (छ.ग.) :: -
।। आदिवासी विकास शाखा ।।
फैक्स नं. 0788–2323655, ई–मेल – **actwd.durg@gmail.com**

प्रयास आवासीय विद्यालय, दुर्ग के अंतर्गत फाउंडेशन प्रयास कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए शैक्षणिक वर्ष 2018–2019 तथा 2019–2020 हेतु फैकल्टी उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी के चयन के लिए संदर्भ की शर्तें

1.पृष्ठभूमि / भूमिका

छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत पूर्ण आवासीय प्रयास विद्यालय दुर्ग का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है । इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा कक्षा 9वीं और 10वीं के समस्त विषय में छत्तीसगढ माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठयक्रम पर आधारित शिक्षण और अखिल भारतीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे– भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT's), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT's), केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों (CGFTIs) । इस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार ने कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के लिए फाउंडेशन प्रयास दुर्ग में संचालन किया जाना है।

2. ''प्रयास'' कार्यक्रम और ''फाउंडेशन प्रयास'' कार्यक्रम

प्रयास कार्यक्रम प्रयास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के मेधावी छात्र–छात्राओं के उज्जवल भविष्य हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन के साथ साथ अपने केरियर का निर्माण कर सके। छात्रों के लिए आरक्षित सीटो का पैटर्न निम्नलिखित है : ST-50%, SC-20% , OBC- 20% और General-10% आरक्षित रहेगा समय समय पर उच्च कार्यालय के निर्देश का पालन करना होगा।
फाउंडेशन प्रयास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को कम उम्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा प्रतिस्पर्धी / प्रतियोगी परीक्षा हेतु सक्षम बनाना है।

3. कार्यक्रम के संचालन की प्रणाली

अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचितजनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थी इस संस्था में प्रवेश लेते है । इस विद्यालय में प्रवेश हेतु बहु विकल्प प्रश्नों के आधार पर प्राक्च्यन परीक्षा से किया जाता है। प्रवेश उपरांत विभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सुविधाएं और आवास उपलब्धं कराया जाता है । चयनित कोचिंग संस्था के द्वारा कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण प्रदान करने तथा फैकल्टी, अधिगम सामाग्री (Study material), मूल्यांकन की विधि एवं पैटर्न, टेस्ट आदि के लिए उपयोगी सामाग्री प्रदान की जाती है। फाउंडेशन प्रयास के कक्षा 9वीं में विद्यार्थियों के प्रवेशित सीट के आधे प्रतिभावान विद्यार्थियों का कक्षा 11वीं प्रयास में प्रवेश स्वतः हो जायेगा ।

4. विद्यालय का नाम जिसके लिए 'रुचि की अभिव्यक्ति'' आमंत्रित है :–

क्र.	विद्यालय का नाम	कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों की संख्या (परिवर्तनीय)
1.	प्रयास शासकीय आवासीय विद्यालय दुर्ग	125

उपरोक्त विद्यालय के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। चयन उपरांत अनुबंध अनुसार समस्त व्यवस्था करनी होगी।

प्रत्येक बैच के विद्यार्थियों को 4 अलग–अलग वर्गों में विभाजित किया जावेगा, प्रत्येक वर्ग को अनिवार्य सभी विषय पर केंद्रित किया जाएगा। छात्रों का सेक्शन आवंटन विभाग द्वारा एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा किए गए मनोचिकित्सक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। संकाय का आवंटन केवल संबंधित विषय में एक घंटे के लिए अतिरिक्त कोचिंग प्रदान करके संबंधी विषय में मजबूत आधारभूत पृष्ठभूमि बनाने के उद्देश्य से है, उदाहरण के लिए जीवविज्ञान संकाय के कक्षा 9वीं छात्रों को छत्तीसगढ माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम के सभी

विषयों को पढ़ाया जाएगा लेकिन प्रत्येक दिन एक घंटे अतिरिक्त विज्ञान ओलंपियाड में चयन हेतु जीव विज्ञान की कोंचिंग के दृष्टिकोण से शिक्षण प्रदान किया जाये और अंत में NEET परीक्षा हेतु एक मजबूत नींव तैयार किया जाना है।

5. सौपे गये दायित्व का उद्देश्य

चयनित संस्था को सौपे गये दायित्व का उद्देश्य है विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना जिससे की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निम्नानुसार कर सके :–

i. कक्षा 9वीं (शैक्षणिक वर्ष 2018–2019) और कक्षा 10वीं (शैक्षणिक वर्ष 2019–2020) के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना।

ii- प्रतिभा खोज परीक्षा जैसे : NSTSE , विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित ओलंपियाड आदि विभिन्न राष्ट्रीय स्तर प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग प्रदान करना और विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में उनकी सहायता करना।

iii- छात्रों को आईआईटी (IIT's), एनआईटी(NIT's), आईआईआईटी(IIIT's), सीएफटीआई(CFTI's), सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए(ICWA) और सीएलएटी(CLAT), एमबीए(MBA) आदि के लिए प्रवेश परीक्षा सहित विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के प्रवेश परीक्षाओं हेतु सक्षम बनाने के लिए तैयार करना।

iv- मनोवैज्ञानिक और कैरियर परामर्श प्रदान करना।

6.कार्य का क्षेत्र :–

चयनित एजेंसी के लिए कार्य क्षेत्र निम्नानुसार होगा:

a. छत्तीसगढ माध्यमिक शिक्षा मंडल अनुशंसित पाठयक्रम के गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी विषयों के लिये शिक्षण/कोचिंग प्रदान करना एवं मनोवैज्ञानिक/कैरियर परामर्श प्रदान करना।

b.वांछित योग्यता के संकाय आधारित शिक्षा प्रदान करना।

c.ऑनलाइन अध्ययन के साथ–साथ ऑफलाइन (पुस्तकें आदि) मोड में अध्ययन सामग्री, मूल्यांकन सामग्री, टेस्ट पेपर प्रदान करना । प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों को बोर्ड की तैयारी और प्रतिस्पर्धी परीक्षा में सक्षम बनाने के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना।

d.विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की मॉनिटरिंग करना एवं कमजोर छात्र तथा उनके कमजोरी के क्षेत्र को चिन्हांकित कर निराकरण करना ।

7. कार्यप्रणाली

शिक्षण और कोचिंग प्रदाय करने की पद्धति निम्नानुसार होगी

a- प्रतिदिन शिक्षण के निर्धारित संचयी न्यूनतम घंटों (जैसे सभी विषय शिक्षकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले शिक्षण के घंटों की सामूहिक संख्या) प्रदान करना। निर्धारित समय की संख्या 24 घंटे प्रतिदिन है। उक्त समय में अन्य गतिविधियों का कार्य पूर्ण करते हुए विषय शिक्षक कक्षा 9वीं / 10वीं की कक्षाएं के साथ–साथ विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराना ।

b- प्रशासकीय अधिकारी द्वारा अनुमोदित समय सारणी के अनुसार 90 मिनट की अवधि के लिए विषयों के तीन नियमित कक्षाओं का संचालन करना होगा। कक्षा, समय सारणी स्कूल प्रबंधन और प्रशासकीय अधिकारी के समन्वय से चयनित एजेंसी के द्वारा तय किया जावेगा ।

c- प्रतिदिन समय सारणी में विषय शिक्षण के अतिरिक्त 2 घंटे का डाउट क्लास एवं निराकरण कालखंड आयोजित किया जाना है। यह कालखंड उसी शिक्षक द्वारा लिया जाए जिसने विषय / टॉपिक को पढ़ाया है।

d- कक्षा 9वीं / 10वीं के पाठयक्रम और प्रतियोगी आधारित साथ–साथ पखवाड़े, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर पैटर्न अनुसार परीक्षा लेकर छात्रों का मूल्यांकन करना। वार्षिक/ प्रतिस्पर्धी परीक्षा के एक माह पूर्व संपूर्ण पाठयक्रम को पूर्ण कर परीक्षा का आयोजन करना होगा ।

e- प्रत्येक बैच में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रगति को बनाए रखने और निगरानी किया जाना है। (i) बैचवार आधारित, (ii) छात्रवार आधारित (iii) विषयवार आधारित (iv) छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल पैटर्न के आधार पर अकादमिक मानकों पर सतत निरंतर और व्यापक मूल्यांकन (CCE) किया जाना है।

f- विद्यालय के लिए नियुक्त शिक्षक/फैकल्टी किसी अन्य कोचिंग से संलग्न नहीं किए जावेंगे। शिक्षक/फैकल्टी की नियुक्ति विद्यालय में पूर्णकालिक रहेगी।

g- शिक्षकों की बदलने की अनुमति नहीं होगी। अपरिहार्य कारण से कलेक्टर से पूर्व अनुमति लेने पर शिक्षक बदले जा सकेंगे।

h- विद्यार्थियों एवं प्रशासकीय अधिकारी के फीड बैक में यदि विषय शिक्षक का अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो दो सप्ताह के अंदर सूचना देकर शिक्षक बदला जा सकता है, लेकिन विषय का अध्यापन कार्य बीच में प्रभावित न हो।

i- विद्यालय के गरिमा के अनुरूप विषय शिक्षकों द्वारा अनुशासन/शिष्टाचार एवं व्यवहार बनाये रखना होगा ।

j- कक्षाओं में शिक्षण की भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी में मिश्रित रूप से किया जावेगा ।

k- चयनित कोचिंग संस्था को शिक्षक आवास व्यवस्था विद्यालय/छात्रावास के बाहर (Outside) अपनी व्यय पर व्यवस्था करना होगा।

l- समय–समय पर आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छत्तीसगढ़ और जिला कलेक्टर/सहायक आयुक्त द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश का पालन करना होगा।

8. संकाय की अनिवार्य रूप से वांछित योग्यता

संकाय की वांछित योग्यता निम्नानुसार है :–

क्र.	विषय	विज्ञान (गणित और जीवविज्ञान)के लिए विद्यालय में शिक्षकों की संख्यां	कॉलम संख्या (5) में योग्यता प्राप्त करने वाले संबंधित विषय पद में अनिवार्य शिक्षण अनुभव	अनिवार्य योग्यता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	गणित	01	03 साल	शासकीय संस्थान से एम.टेक
2.	भौतिकी	01	03 साल	शासकीय संस्थान से एम.टेक
3.	रसायन विज्ञान	01	03 वर्ष	शासकीय संस्थान से एम. टेक/एमएससी
4.	जीवविज्ञान	01	03 वर्ष	किसी सरकारी संस्था से संबंधित विषय में एमएससी/एमबीबीएस/बीडीएस
5.	हिन्दी	01	03 वर्ष	शासकीय संस्थान से संबंधित विषय में एमए
6.	अंग्रेजी	01	03 वर्ष	शासकीय संस्थान से संबंधित विषय में एमए
7.	संस्कृत	01	03 वर्ष	शासकीय संस्थान से संबंधित विषय में एमए
8.	सोशल स्टडीज	01	03 वर्ष	शासकीय संस्थान से संबंधित विषय
9.	मनोवैज्ञानिक/कैरियर काउंसलर/कंप्यूटर	01	——	भारत सरकार/यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक
	कुल	10		

9. कक्षा का आकार और विषय संकाय

प्रत्येक कक्षा में 45 छात्रों से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि प्रत्येक खंड में पाठ्यक्रम और विषय समान होंगे प्रत्येक खंड निर्धारित होगा। संकाय निम्नानुसार होंगी

a- गणित

b- जीवविज्ञान

c- मानविकी (भाषा)

छात्रों को एक विशेष संकाय/अनुभाग में आवंटन विभाग द्वारा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। यह मूल्यांकन विभाग द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाएगा। कोचिंग संस्थान द्वारा छात्रों के चयन में कोई भूमिका नहीं होगी। हालांकि, विभाग समय–समय पर अपने मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और पसंद के आधार पर किसी भी समय छात्रों को संकाय/अनुभाग आवंटित कर सकता है।

10. सेवा और अनुबंध की अवधि

सेवा की अवधि वर्तमान शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से शुरू होगी तथा कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के माह से तीन महिने बाद समाप्त होगी अंतिम परीक्षा समाप्त होने के बाद कोचिंग संस्थान निम्नलिखित को छोडकर अपने शिक्षकों को कार्यमुक्त करने के लिये स्वतंत्र होगा जिसमें गणित संकाय से एक, जीवविज्ञान संकाय से एक और एक काउंसलर शामिल होगा। सेवा अवधि के पश्चात कोचिंग संस्था अपने सभी संकाय के फैकल्टी को कार्यमुक्त कर सकेंगे। चयनित एजेंसी को विभाग के साथ एक अनुबंध का निष्पादित करना होगा।

11. प्रमुख प्रदेय वस्तुए (KEY DELIVERABLES)

a- विषय विशेषज्ञ की योग्यता निर्धारित योग्यता के अनुरूप हो।

b- बैचवार/खण्डवार/विद्यार्थीवार/विषयवार समय आवर्तिग (मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री.बोर्ड जॉच परीक्षा आयोजित करना तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना।

c- कक्षा 9वीं या कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तथा प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं का परिणाम तैयार करना।

d- प्रति माह प्रति फैकल्टी के शिक्षण घंटे की संख्या के साथ–साथ प्रति माह शिक्षण के कुल संचयी घंटे सहित सभी छात्रों और फैकल्टी के उपस्थिति रिकॉर्ड संधारित करना।

12. भुगतान क्रियाविधि

चयनित एजेंसी को भुगतान सात किश्तों में किया जाएगा। नीचे दर्शाए गये तालिका में उपलब्धि का माइलस्टोन और प्रदेय वस्तु (डिलिवरेबल्स) प्रदान करने पर किश्तों को जारी किया जाएगा।

किश्त की संख्या	अनुबंध मूल्य का %	माइलस्टोन	कुंजी वितरण /दस्तावेजीकरण
(a)	(b)	(c)	(d)
1	15%	माइलस्टोन – 1 क्रियाए: सभी फैकल्टी तैनाती संभावित समय सीमा: पहला शैक्षणिक वर्ष का 31 अक्टूबर	1. कुल अनुबंध मूल्य का 15% के बराबर बैंक गारंटी का प्रस्तुतीकरण 2. वितरित 11(ए) सहायक आयुक्त के द्वारा प्रमाणित ।
2	10%	माइलस्टोन – 2 क्रियाए: कक्षा IX की परिणाम अंतिम परीक्षा की घोषणा संभावित समय सीमा: पहले शैक्षणिक वर्ष के 31 मार्च	1. प्रदेय वस्तु 11 (बी) 2. प्रदेय वस्तु 11 (सी) 3. प्रदेय वस्तु 11 (डी)
3	15%	माइलस्टोन – 3 कार्यक्रम: विभाग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए कक्षा IX के परिणाम की घोषणा संभावित समय सीमा: पहले शैक्षणिक वर्ष का	प्रदेय वस्तु 11 (सी)

		31 मार्च	
4	10%	माइलस्टोन – 4 क्रियाए: आवधिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा संभावित समय सीमा: दूसरे शैक्षणिक वर्ष के जुलाई 31	1. प्रदेय वस्तु 11 (बी) 2. प्रदेय वस्तु 11 (डी)
5	15%	माइलस्टोन – 5 कार्यक्रम: विभाग द्वारा आयोजित कक्षा X परीक्षाओं के लिए मध्य–अवधि की परीक्षा के परिणाम की घोषणा संभावित समयसीमा: दूसरे शैक्षणिक वर्ष के 31 अक्टूबर	1. प्रदेय वस्तु 11 (बी) 2. प्रदेय वस्तु 11 (डी)
6	10%	माइलस्टोन – 6 क्रियाए: द्वितीय शैक्षणिक सत्र के दौरान आयोजित विज्ञान ओलंपियाड का परिणाम संभावित समयसीमा: दूसरे अकादमिक वर्ष के 28 फरवरी	1. प्रदेय वस्तु. 11 (बी) 2. प्रदेय वस्तु 11 (सी) 3. प्रदेय वस्तु 11 (डी)
7	25%	माइलस्टोन –7 क्रियाए: परिभाषित लक्ष्यों की उपलब्धि के आधार पर कक्षा X बोर्ड के परिणामों की घोषणा संभावित समयसीमा: दूसरे शैक्षणिक वर्ष के परीक्षा परिणामों की घोषणा के 30 दिनों अंदर	1. प्रदेय वस्तु. 11 (सी) 2. प्रदेय वस्तु 11 (डी)

माइलस्टोन की उपलब्धि और डिलिवरेबल्स की डिलीवरी का मूल्यांकन प्रयास स्कूलों से स्वतंत्र समिति द्वारा किया जाएगा। सभी भुगतान कलेक्टर के अनुमोदन से जारी किए जाएंगे। अंतिम भुगतान (सातवीं किश्त) आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की मंजूरी के बाद ही जारी की जाएगी।

13. मुख्य प्रदर्शन सूचक (KPI's)

माइलस्टोन की उपलब्धि के आधार पर एजेंसी को भुगतान किया जाएगा। कुंजी प्रदर्शन सूचक (KPI's) के आधार पर भुगतान से समायोजन किया जाएगा।

निम्नलिखित केपीआई होंगे

<u>केपीआई–1: फैकल्टी के शिक्षण घंटे:</u>

इस केपीआई की गणना निम्नानुसार की जाएगी:
(सभी फैकल्टी द्वारा परिभाषित अवधि के दौरान शिक्षण घंटे की वास्तविक संख्या)
द्वारा विभाजित
(परिभाषित अवधि में अकादमिक दिनों की संख्या X अनुबंध के अनुसार प्रति दिन शिक्षण घंटे की संख्या)
नोट: यहां परिभाषित अवधि का अर्थ है कि किस अवधि के लिए भुगतान की गणना की जा रही है

केपीआई–2: तिमाही के दौरान आयोजित आवधिक परीक्षा में छात्रों का नतीजा

यहां आवधिक परीक्षा का अर्थ त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री–बोर्ड/प्री–फाइनल परीक्षा है। आवधिक परीक्षा में प्रश्न पिछले पांच वर्षों के दौरान संबंधित प्रवेश परीक्षा की अंतिम परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के समान होना चाहिए। इसके अलावा, आवधिक परीक्षा का मूल्यांकन विभाग द्वारा जांच के अधीन होगा।

इस केपीआई की गणना निम्नानुसार की जाएगी:
(छात्रों की संबंधित श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ अंक पाने वाले छात्रों की संख्या का कुल योग)
द्वारा विभाजित
(बैच में छात्रों की कुल संख्या)
नोट: इस केपीआई के लिए कट ऑफ मार्क अंक 75% है।

केपीआई – 3: कक्षा IX अथवा कक्षा X बोर्ड की अंतिम परीक्षा में छात्रों का परिणाम

इस केपीआई की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

(प्रतियोगी परीक्षा आयोजित एजेंसी द्वारा संबंधित श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ अंक पाने वाले छात्रों की संख्या) द्वारा विभाजित

(बैच में छात्रों की कुल संख्या)

नोट: इस केपीआई के लिए निर्धारित कट ऑफ अंक 80% है

केपीआई – 4: विज्ञान, भौतिकी और गणित ओलंपियाड में छात्रों का परिणाम

इस केपीआई की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

(1000 से कम राज्य रैंक सुरक्षित छात्रों की संख्या)

द्वारा विभाजित

(छात्रों की बेंचमार्क संख्या)

नोट: इस केपीआई के लिए निर्धारित छात्रों की बेंचमार्क संख्या 40 है। इसके अलावा, यदि एक छात्र को एक परीक्षा में गिना जाता है तो उसे इस केपीआई में अन्य परीक्षाओं के लिए गिना नहीं जाएगा।

केपीआई–5: फैकल्टी की प्रतिस्थापन

फैकल्टी द्वारा कार्यक्षेत्र के दायरे के तहत फैकल्टी के प्रत्येक प्रतिस्थापन (कलेक्टर द्वारा अनुरोधित प्रतिस्थापन के अलावा) या किसी भी अन्य डिफॉल्ट के लिए, रुपये की राशि के लिए 25,000/– (केवल पच्चीस हजार रुपये) काट दिया जाएगा।

इस केपीआई की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

(केपीआई 1 से केपीआई 4 को छोड़कर काम के दायरे की शर्तों के तहत प्रतिस्थापन या किसी भी अन्य डिफॉल्ट की संख्या से गुणा (रुपये 25,000/–)

नोट: अनुबंध के पहले 3 महीनों के भीतर फैकल्टी की प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं है। यदि यह होता है, तो जुर्माने की राशि प्रति फैकल्टी 25,000/ – के स्थान पर 1,00,000/– प्रति प्रतिस्थापन होगी ।

यदि केपीआई 1, केपीआई 2, केपीआई 3 और केपीआई 4 के मूल्य 1 से अधिक हो, तो गणना के उद्देश्य के लिए इसे 1 के रूप में लिया जाएगा।

अनुबंधित कोचिंग संस्था् को देय राशि केपीआई की उपलब्धि के आधार पर समायोजित की जाएगी। केपीआई के लिए किश्तों से समायोजन निम्नानुसार होगा:

किश्त संख्या	माइलस्टोन	केपीआई समायोजित करने के लिए	भुगतान किया जाना चाहिए:
1	माइलस्टोन – 1	निरंक	पहली किश्त का पूर्ण मूल्य
2	माइलस्टोन – 2	केपीआई – 1 केपीआई – 2 केपीआई – 3 केपीआई – 5	दूसरा किश्त का मूल्य से गुणा कर केपीआई 1, केपीआई 2 और केपीआई 3 का औसत निकालकर केपीआई – 5 से घटाना है।
3	माइलस्टोन – 3	केपीआई – 3	तीसरे किस्त के मूल्य से केपीआई 3 को गुणाकर केपीआई – 5 से घटाना है।
4	माइलस्टोन – 4	केपीआई – 1 केपीआई – 2 केपीआई – 5	चौथे किश्त मूल्य से गुणा कर केपीआई 1 और केपीआई 2 का औसत से केपीआई – 5 को घटाना है।
5	माइलस्टोन – 5	केपीआई – 1 केपीआई – 2 केपीआई – 5	केपीआई 1 और केपीआई 2 के औसत से पांचवा किश्त का मूल्य को गुणा कर केपीआई – 5 से घटाना है।

6	माइलस्टोन – 6	केपीआई – 1 केपीआई – 2 केपीआई – 4 केपीआई – 5	छठी किश्त का मूल्य केपीआई 1, केपीआई 2 और केपीआई 4 का औसत से केपीआई – 5 को घटाकर निकाला जाना है।
7	माइलस्टोन – 7	केपीआई – 1 केपीआई – 3 केपीआई – 5	सातवीं किश्त का मूल्य केपीआई 1 और केपीआई 3 का औसत से केपीआई – 5 को घटाकर निकाला जाना है।

किसी भी व्यक्तिगत किश्त का कुल योग भुगतान क्रियाविधि की तालिका में परिभाषित राशि से अधिक नहीं होगा।

14. निविदा पूर्व बैठक और पूछताछ

कलेक्टर के निर्णय अनुरुप निविदाकर्ता की बैठक आयोजित की जा सकती है जिसकी पूर्व सूचना संबंधित निविदाकर्ता को दी जाएगी।

15. EOI जमा करने की प्रक्रिया/शर्ते

प्रस्ताव के तहत प्रस्तुत करने की आवश्यकता है:

a- प्रस्ताव में अनुबंध में सूचीबद्ध सभी प्रकार के दस्तावेज होने चाहिए।

b- (EOI) तैयार करते समय आवेदनकर्ता से उम्मीद किया जाता है, कि वे दस्तावेजों की सूक्ष्मता से जॉच कर लेवें। दस्तावेजों की अपूर्णता के कारण प्रस्ताव को खारिज किया जा सकता है।

c- आवेदनकर्ता के द्वारा (EOI) तैयार तथा प्रस्तुत करते समय होने वाले व्यय को स्वयं वहन करेंगे। विभाग प्रस्ताव को स्वीकार्य करने हेतु बाधित नहीं है, तथा वार्षिक चयन प्रक्रिया को किसी भी समय करने का अधिकार सुरक्षित है।

d- आवेदक का अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक दस्तावेज में हस्ताक्षर एवं सील लगाना अनिवार्य है। प्रस्ताव में प्रतिनिधि के अधिकृत होने का ''पावर ऑफ एटॉरनी'' लिखित में संलग्न होना आवश्यक है।

e- (EOI) के प्रत्येक पृष्ठ में वास्तविक हस्ताक्षर एवं सील लगाना अनिवार्य है।

f- प्रस्ताव के लिफाफे अथवा पैकेट सील बंद होना आवश्यक है। सील बंद न होने की दशा में दस्तावेजों के गुमने अथवा प्रस्ताव की गोपनीयता भंग होने की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।

g- (EOI) में दर्शित पते पर प्रस्ताव को अंतिम तिथि अथवा बढ़ाये गए अंतिम तिथि के पूर्व जमा करना आवश्यक होगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा को विभाग द्वारा विलम्ब से प्राप्त मानते हुए खारिज कर त्वरित वापिस कर दिया जावेगा।

16. गोपनीयता

a- (EOI) के खुलने के समय से लेकर चयन की घोषणा होने तक आवेदनकर्ता किसी भी प्रकार से विभाग से संपर्क नहीं करेगा और न ही EOI मूल्यांकन से संबंधित पूछताछ करेगा। (EOI)के मूल्यांकन तथा अनुशंसाओं के बारे में आवेदनकर्ता जिसने (EOI)जमा किया है अथवा उससे संबंधित किसी अन्य कार्यालयीन व्यक्ति को नहीं बताया जावेगा, जब तक चयन की घोषणा का प्रकाशन न हो।

b- आवेदनकर्ता अथवा संबंधित कोई अन्य व्यक्ति अनुचित तरिके से (EOI)के मूल्यांकन अथवा अनुबंध के संबंध में विभाग की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, तो उसके (EOI) को खारिज कर दिया जावेगा।

17. चयन की विधि

(a) निविदाकर्ता को उसके प्रस्ताव में प्रतियोगी परीक्षा हेतु कोचिंग प्रदान करने हेतु उचित प्रतिमान (मॉडल) लेकर आवें। प्रस्तुत प्रतिमान (मॉडल) में नवीन दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली मॉडल के स्केलिंग की अनुभव विधियॉ, अभिनव तरिके एवं तकनीकी का अधिकतम उपयोग सम्मिलित हो। प्रस्तुत प्रतिमान (मॉडल) का मूल्यांकन प्रस्ताव में सम्मिलित दस्तावेजों और प्रदर्शन (प्रस्तुतिकरण) से किया जावेगा।

(b) दस्तावेजों का जॉच प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न किया जावेगा। तकनिकी योग्यता और गुणवत्ता मूल्य आधारित प्रणाली (QCBS) द्वारा होगा। तकनिकी योग्यता एवं वित्तीय प्रस्ताव पृथक–पृथक रूप से सील बंद लिफाफे में जमा किया जावेगा। तकनिकी मूल्यांकन, वित्तीय प्रस्ताव के पहले खोला जावेगा।

(c) जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा प्राप्त किए गए प्रस्तावों में वांछित आवश्यकताओं का अध्ययन एवं निर्धारण किया जावेगा। समिति द्वारा प्रस्ताव के निर्धारण की प्रक्रिया में EOI द्वारा विशेषीवृत मानदंड को आवेदनकर्ता

पूर्ण किया है अथवा नहीं, उसका अध्ययन किया जावेगा। प्रस्ताव में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त न होने की दशा में इसे निरस्त किया जावेगा।

(d) समिति द्वारा प्रस्ताव के मूल्यांकन के संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम माना जावेगा। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव के संबंध में पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा।

(e) दस्तावेजों का मूल्यांकन मापदंडो के आधार पर किया जावेगा।

(f) तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्न आधार पर किया जावेगा :–

- दस्तावेज आधारित मूल्यांकन (70) – परिभाषित चिन्हित मापदंड के आधार पर दस्तावेज आधारित मूल्यांकन किया जा सकेगा।
- आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण (30) – समिति प्रस्तुतिकरण के लिए EOI के चयनित आवेदनकर्ता को आमंत्रित कर सकता है। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य आवेदनकर्ता को अपने प्रस्ताव में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर समिति के समक्ष प्रदर्शित करना होगा। समिति के सदस्य संबंधित के EOI में दर्शित कोचिंग कार्यक्रम के प्रभावों का आवलोकन कर सकेंगे।
- दस्तावेजों का आंकलन करने के पश्चात् तथा प्रस्तुतीकरण करने के अंक के आधार पर आवेदनकर्ता का तकनीकी मूल्यांकन का अंतिम अंक दिया जावेगा।

(g) तकनीकी निविदा के पश्चात् वित्तीय निविदा को खोला जावेगा।

(h) आवेदनकर्ता का सम्पर्ण अंको को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है :–

न्यूनतम मूल्यांकित वित्ती प्रस्ताव (Fm) को 100 में से अधिकतम वित्तीय अंक (Sf) दिया जावेगा।

सभी अन्य प्रस्तावों के वित्तीय अंकों का निर्धारण की गणना निम्न सूत्र के आधार पर किया जा सकता है:–

$$Sf = \frac{100xFm}{F}$$

जिसमें Sf वित्तीय अंक

Fm न्यूनतम अंक

और F प्रस्ताव में दर्शित विचारणीय मूल्य

तकनीकी (T) और वित्तीय (P) प्रस्तावों का अधिभार इस प्रकार है :–

T =70 %, P= 30 %

प्रस्तावों को उनके संयुकत तकनीकी (St) और वित्तीय अंको के अधिभारों के उपयोग से (T= तकनीकी प्रस्ताव में दिया गया अधिभार, P= वित्तीय प्रस्ताव में दिया गया अधिभार, T+P=01) श्रेणी का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा।

S = St x T% + Sf x P%

(i) यदि दो या दो से अधिक आवेदकों को अंतिम मूल्यांकन में समान अंक मिलने पर न्यूनतम मूल्य अंकित करने वाले आवेदक को कार्य का आबंटन किया जावेगा।

(j) संयुक्त रुप से दिया गया प्रस्ताव मान्य नहीं होगा।

(k) फ्रैंचाइजी के द्वारा दिए गए आवेदन में प्राथमिक फ्रैंचाइजर द्वारा सभी दस्तावेजों को जमा करना आवश्यक है और अनुबंध फ्रैंचाइजर के साथ निष्पादित किया जावेगा।

(l) वित्तीय निविदा विशेषीकृत प्रोफार्मा में जमा किया जावेगा।

(m) तकनीकी मूल्यांकन मानदंड में कम से कम अधिकतम अंक का 70% पाने वाले फर्म का ही वित्तीय प्रस्ताव खोला जा सकेगा।

(n) यदि तकनीकी मूल्यांकन में किसी भी निविदाकर्ता फर्म को न्यूनतम 70% अंक प्राप्त नहीं किया है तो अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले तीन फर्मो को वित्तीय निविदा के लिए विचार किया जा सकता है। यदि एक या दो निविदाकर्ता हो तथा अर्हता के अंक (qualify) प्राप्त न हो तो उन पर विचार किया जा सकता है।

(o) चयनित निविदाकर्ता का EMD प्रथम किश्त की बैंक गारंटी के पावती प्राप्त होने के पश्चात् वापस कर दी जावगी। अन्य निविदाकर्ता का EMD चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के 15 दिवस के अंदर जारी कर दी जावेगी।

(p) एजेंसी द्वारा सेवा के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए पहली किस्त के विरूद्ध प्राप्त बैंक गारंटी को विभाग द्वारा एजेन्सी का प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिये रखा जाएगा। बैंक गारंटी की अवधि अनुबंध की समाप्ति तिथि से तीन महीने तक होगी।

18. पात्रता मापदंड

इस प्रक्रिया में नीचे दर्शित जमा किए गये दस्तावेजों के जांच और चयन के आधार पर किया जावेगा। यदि आवेदनकर्ता के पास निर्धारित योग्यता का मापदण्ड नहीं मिलता है तो उसे निरस्त कर दिया जावेगा।

क्र.	विवरण	न्यूनतम योग्यता मापदण्ड	वांछित दस्तावेज
1	स्वामित्व संस्था संबंध, पार्टनरशिप फर्म, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से पंजीकृत, कम्पनी एक्ट के तहत, ट्रस्ट एक्त के तहत पंजीकृत	न्यूनतम 03 वर्ष से संस्था अस्तित्व में हो।	स्वामित्व संस्था के लिए :– कोचिंग चलाने का लाईसेंस (संबंधित कानून के तहत) पार्टनरशिप :– फर्म के रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सहकारी (सोसायटी):–सोसायटी के रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। ट्रस्ट :– ट्रस्ट के रजिस्ट्रार और ट्रस्ट के अभिलेख के अनुसार रजिस्ट्रेशन का प्रमाण कम्पनी :– कम्पनियों के रजिस्ट्रार और संगठन के धाराओं के अनुरुप पंजीकरण होना चाहिए।
2	विगत वर्षो से प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग में संलग्नता (EOI में दर्शित सूची के अनुसार)	विगत तीन वर्षो से प्रति वर्ष 300 विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करना।	चार्टेट एकाउंटेट (CA) के द्वारा विद्यार्थियों की संख्या और उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रमाणीकरण
3	EOI में संदर्भित प्रतियोगी परीक्षाओं के कक्षाओं में कोचिंग	विगत तीन वर्षो में औसतन 50 लाख रुपये का टर्न ओवर	कोचिंग क्रियाकलाप के लिए :– चार्टेट एकाउंटेट के द्वारा कोचिंग क्रियाकलापों (जिसमें परीक्षाएं सम्मलित है) का पृथक से प्रमाण पत्र
4	फैकल्टी की संख्या	EOI में दर्शित सूची के अनुसार विषयों के लिए कम से कम 10 फैकल्टी होना चाहिए।	फैकल्टी का नाम योग्यता, अनुभव का वर्ष स्व प्रमाणित होना चाहिए।
5	वैध PAN/सर्विस टैक्स/ सर्विस टैक्स भरते समय नियमित GST नम्बर	विगत तीन वर्षो आयकर/ सर्विस टैक्स विवरणी	1. PAN कार्ड की प्रति 2. सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण पत्र तथा भारत शासन GST पोर्टल में वैध GSTN का प्रिंट आउट 3. विगत तीन वर्षो के सर्विस टैक्स विवरणिका की प्रति 4. विगत तीन वर्षो के आयकर विवरणिका की प्रति।

उपरोक्त सभी अभिलेखों में फर्म के नाम पर भिन्नता होने पर निविदा अस्वीकृत माना जावेगा।

19. मूल्यांकन का मापदंड :–

तकनीकी स्कोर का मूल्यांकन दस्तावेज आधारित पैरामीटर के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज आधारित पैरामीटर का मूल्यांकन निम्न तरीके से किया जावेगा।

क्र.	पैरामीटर (मापदंड)	उच्चतम अंक	स्कोरिंग पैटर्न	प्रमाणित दस्तावेज (प्रमाणन दस्तावेज)
1	EOI में संदर्भित कोचिंग संस्था के प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुभव का वर्ष	15	प्रथम तीन वर्ष – **03 अंक** 03 वर्ष से अधिक प्रत्येक वर्ष हेतु– **01 अंक**	योग्यता मापदंड के पैरा 18 के सरल क्र. 01 में अंकित अनुसार
2	EOI में संदर्भित कोचिंग क्रियाकलापों से टर्न ओवर	15	प्री क्वालीफिकेशन को सुरक्षित करने के लिए टर्न ओवर– **03 अंक** प्रत्येक अतिरिक्त 10 लाख रुपये– **01 अंक**	योग्यता मापदंड में दर्शित पैरा 18 के सरल क्र. 03 में अंकित अनुसार
3	पिछले तीन वर्षो के दौरान कोचिंग संस्थान (इस ईओआई में उल्लिखित परीक्षा के लिए) में छात्रों की औसत संख्या	10	छात्रों की संख्या प्री क्वालीफिकेशन को सुरक्षित रखने हेतु– **05 अंक** प्रत्येक 100 छात्र से अतिरिक्त विद्यार्थी हेतु– **01 अंक**	योग्यता मापदंड में दर्शित पैरा 18 के सरल क्र. 02 में अंकित अनुसार
4	कोचिंग संस्थान के छात्रों की औसत संख्या जिन्होंने पिछले तीन वर्षो के दौरान कक्षा 10 वी में कम से कम 8 सीजीपीए या 80% अंक बनाए हैं	10	पहले 300 छात्रों के लिए – 5 अंक पहले 300 छात्रों से अधिक के 50 छात्रों के लिए – 1 अंक	योग्यता मापदंड में दर्शित पैरा 18 के सरल क्र. 02 में अंकित अनुसार

5	फैकल्टी संख्या	10	पहले 10 संकायों के लिए – 2 अंक पहले 10 faculties से अधिक प्रत्येक संकाय के लिए – 1 अंक	फैकल्टी का नाम, योग्यता और अनुभव के वर्ष की स्वयं प्रमाणित सूची
6	छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित कोचिंग क्लासेस	10	पहले 5 वर्षों के लिए – 2 अंक पहले पांच साल के बाद हर पूरा वर्ष के लिए – 1 अंक	जैसा कि पैरा 18 के क्रम संख्या 1 में वर्णित है –योग्यता मानदंड या किसी अन्य आधिकारिक दस्तावेज ने विधि को साबित करने के लिए विधिवत नोटराइज किया हुआ

प्री–क्वालीफिकेशन मापदंड की अर्हता प्राप्त करने वाली कंपनियों को प्रस्तुतिकरण के लिए बुलाया जावेगा। यदि आवेदको की संख्या 5 से अधिक है तो दस्तावेज आधारित मानदंडों शीर्ष पॉच अंक प्राप्त करने वाली कंपनियों को प्रस्तुतिकरण हेतु बुलाया जावेगा। प्रस्तुतिकरण आधारित मूल्यांकन के लिए पैरामीटर निम्नानुसार है :–

क्र.	पैरामीटर (मापदंड)	उच्चतम अंक	स्कोरिंग पैटर्न	दस्तावेजों की आवश्यकता/ प्रस्तुतिकरण
1	विषय विशेषज्ञ को विषय की समझ एवं विषय में महारत	10	प्रस्तुति लेने के लिए विभाग द्वारा गठित टीम (पदांकित) विशेषज्ञों के द्वारा मूल्यांकन किए जावें	प्रस्तुतिकरण के आधार पर
2	अध्ययन सामग्री हार्ड एवं साथ ही साफ्ट कापी	05	प्रस्तुति लेने के लिए विभाग द्वारा गठित टीम (पदांकित) विशेषज्ञों के द्वारा मूल्यांकन किया जावें	नॉन–कापीराइट साफ्ट कापी और ऑनलाईन सामग्री के साथ हार्ड कापी अध्ययन सामग्री
3	एसाईनमेंट के निष्पादन के लिए विस्तृत कार्य योजना प्रस्तावित	05	प्रस्तुति लेने के लिए विभाग द्वारा गठित टीम (पदांकित) विशेषज्ञों के द्वारा मूल्यांकन किया जावें	आवेदक द्वारा EOI के साथ संलग्न कार्य योजना
4	प्रस्तावित फैकल्टी की गुणवत्ता	10	प्रस्तुति लेने के लिए विभाग द्वारा गठित टीम (पदांकित) विशेषज्ञों के द्वारा मूल्यांकन किया जावें	EOI के साथ संलग्न (प्रस्तावित) फैकल्टी की सूची अनुसार

20.**EOI** जमा करना :–

(a) तकनीकी प्रस्ताव जिसमें प्री–क्वालीफिकेशन एवं मूल्यांकन के लिए दस्तावेज शामिल है, को एक मुहर बंद लिफाफा में स्पष्ट रूप से ''**तकनीकी प्रस्ताव**'' में चिन्हित किया जावेगा। मूल में वित्तीय प्रस्ताव को अलग–अलग मुहर बंद लिफाफा में स्पष्ट रूप से ''वित्तीय प्रस्ताव'' में चिन्हित किया जावेगा और चेतावनी कि ''**तकनीकी प्रस्ताव के साथ खोला न जाए**''

तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव वाले लिफाफे को बाहरी लिफाफे में मुहर बंद रखा जावेगा। इस बाहरी लिफाफे को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जावेगा ''**इसे न खोलें, अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में खोला जाए**''

''**स्कूल का नाम जिसके लिए प्रस्ताव जमा किया गया है**''

बाहरी लिफाफा के खुले रहने अथवा सील न होने की दशा में गुम हो जाने पर अथवा निर्धारित रुप से लिफाफा चिन्हित न होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। प्रस्तावित अस्वीकृति के लिए यह एक परिस्थिति हो सकती है। यदि वित्तीय प्रस्ताव उपरोक्त बताए गए अनुसार अलग–अलग मुहर बंद लिफाफा में नहीं जमा किया गया है, तो यह प्रस्ताव गैर–उत्तरदायी घोषित करने के लिए आधार बन सकता है और परिणाम अयोग्यता में होगा।

(b) सभी दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में जमा किए जावें। आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रासंगिक क्षेत्र विधिवत भरें गए है।

(c) सभी दस्तावेजों को क्रमशः क्रमांकित किया जाना चाहिए और जहां भी वांछित अनुलग्नक में उनका संदर्भ संख्या प्रदान की जानी चाहिए। अनुलग्नक के साथ उन्हे जोड़ने वाले पेज नम्बर प्रदान करने में विफलता पैरा– C में अंकन दिए जाने का कारण हो सकता है।

प्रपत्र–01

आवेदन पत्र का प्रारुप

Format-01

क्र.	विवरण (ब्यौरे)	विवरण
1	आवेदन किए गए संस्था का नाम संकाय जिसके लिए आवेदन किया गया है	
2	आवेदक का नाम	
	कानूनी हैसियत (स्थिति)	
	पंजीकृत कार्यालय	
	दूरभाष नम्बर	
	ई–मेल पता	
3	मुख्य अधिकारी का नाम	
	पता	
	दूरभाष नम्बर एवं मोबाईल नम्बर	
	ई–मेल पता	
4	PAN	
	सर्विस टैक्स पंजीकरण संख्या	
	GST पंजीकृत संख्या (वैकल्पिक ऐच्छिक)	
5	सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान द्वारा वर्ज्य सूची (काली सूची) में हो तो (यदि हां तो किसके द्वारा)	

प्रारूप – 2 : पूर्व–योग्यता के लिए चेकलिस्ट (जांच सूची)

क्र.	विवरण	न्यूनतम पात्रता मानदंड	वांछित दस्तावेज	पृष्ठ संख्या.. में संलग्न
1	निविदा शुल्क रू. 5000/– सहायक आयुक्त आदिवासी विकास दुर्ग के पक्ष में	..	मूल में डिमांड ड्राफ्ट	
2	2,00,000/– रुपये का ईएमडी डीडी के रूप में की आवश्यक है	डीडी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास दुर्ग के पक्ष में देवें	मूल में डिमांड ड्राफ्ट	
3	स्वामित्व – पार्टनरशिप फर्म, भारतीय पार्टनरशिप अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी– कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत कंपनी अधिनियम ट्रस्ट– ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत है	कम से कम 3 वर्षों के लिए अस्तित्व में	स्वामित्व के लिए: प्रासंगिक कानून के तहत कोचिंग संचालित करने के लिए लाइसेंस। साझेदारी: फर्मों के रजिस्ट्रार से जारी पंजीकरण प्रमाणन सोसाइटी: रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज और उनके नियमों के तहत रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र ट्रस्ट: ट्रस्ट के रजिस्ट्रार द्वारा जारी ट्रस्ट के पंजीकरण का प्रमाण पत्र कंपनीरू कंपनी के रजिस्ट्रार , एमओए और एओए द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	
4	कक्षाओं और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के कोचिंग में संलग्ना (जैसा कि इस ईओआई में सूचीबद्ध है)	पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रति वर्ष 300 छात्रों को कोचिंग प्रदान की गई	प्रत्येक वर्ष के लिए एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सर्टिफिकेट पास छात्रों की संख्या सहित छात्रों की संख्या प्रमाणित करना	
5	प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कक्षाओं से कोचिंग गतिविधियों से टर्नओवर जो इस ईओआई में निर्दिष्ट है	प्रासंगिक विषयों में कोचिंग गतिविधियों से औसत वार्षिक कारोबार: रुपये। पिछले 3 वर्षों के लिए 50 लाख	पिछले तीन वर्षों के लिए सभी अनुबंधों के साथ वित्तीय ऑडिट का प्रमाण पत्र	
			कोचिंग क्रियाकलापों के लिए एक चार्टर्ड एकाउंटेंट से एक पृथक से प्रमाणपत्र जिसमें परीक्षाओं सहित कोचिंग गतिविधियों से कारोबार प्रमाणित किया गया है	
6	फैकल्टी की संख्या	ईओआई में सूचीबद्ध विषयों के लिए 10 फैकल्टी	नाम, योग्यता और फैकल्टी के अनुभव के वर्षों की संख्या के साथ स्व–प्रमाणित सूची।	
7	सेवा कर दाखिल करने में नियमित रूप से वैध पैन/सेवा कर / जीएसटी संख्या	पिछले 3 वर्षों से आयकर और सेवा कर रिटर्न दाखिल करना	1. पैन कार्ड की प्रति	
			2. जीएसटी पोर्टल से सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र और वैध प्रिंटआउट जीएसटीएन	
			3. पिछले 3 वर्षों से सेवा कर रिटर्न की प्रति	
			4. पिछले 3 वर्षों से आयकर रिटर्न की प्रति	
8	पैरा 15 (डी) के मामले में पावर ऑफ अटॉर्नी (मुख्तार नामा)	..	पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तावेज की मूल प्रति	

प्रारूप – 3ः दस्तावेज आधारित मूल्यांकन के लिए चेकलिस्ट

क्र.	पैरामीटर	प्रमाणन दस्तावेज	पृष्ठ संख्या 0 के लिए पृष्ठ संख्या....में संलग्न
1	इस ईओआई में निर्दिष्ट कोचिंग प्रतियोगी परीक्षाओं के वर्षों की संख्या का अनुभव	स्वामित्व के लिए: प्रासंगिक कानून के तहत कोचिंग संचालित करने के लिए लाइसेंस। साझेदारी: फर्मों के रजिस्ट्रार से जारी पंजीकरण प्रमाणन सोसाइटी: सोसायटी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणन ट्रस्ट: ट्रस्ट के रजिस्ट्रार द्वारा जारी ट्रस्ट के पंजीकरण का प्रमाण कंपनी: कंपनी के रजिस्ट्रार, मेमोरैंडम एवं एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए निवेश का प्रमाण पत्र	
2	इस ईओआई में निर्दिष्ट कोचिंग गतिविधियों से टर्नओवर	पिछले तीन वर्षों के लिए सभी अनुबंधों के साथ वित्तीतय ऑडिट कोचिंग क्रियाकलापों के लिए: चार्टर्ड अकाउंटेंट से पृथक प्रमाणपत्र जिसमें विषयों सहित कोचिंग गतिविधियों से कारोबार प्रमाणित किया जाता है	
3	पिछले तीन वर्षों के दौरान कोचिंग संस्थान (इस ईओआई में उल्लिखित परीक्षा के लिए) में छात्रों की औसत संख्या	प्रत्येक वर्ष के लिए एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सर्टिफिकेट उत्तीर्ण छात्रों की संख्या सहित छात्रों की संख्या प्रमाणित करना (प्रारूप के अनुसार – 4)	
4	इस ईओआई में निर्दिष्ट आवश्यक ग्रेड स्कोर करने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या	प्रत्येक वर्ष के लिए एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सर्टिफिकेट उत्तीर्ण छात्रों की संख्या प्रमाणित करना (प्रारूप के अनुसार – 4)	
5	फैकल्टी की संख्या	नाम, योग्यता और फैकल्टी के अनुभव के वर्षों की संख्या के साथ स्व–प्रमाणित सूची। (प्रारूप 5 ए के अनुसार)	
6	छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित कोचिंग क्लासेस	जैसा उपर्युक्त क्रम संख्या 1 या किसी अन्य आधिकारिक दस्तावेज में उल्लेख किया गया है, वस्तुतः इस तथ्य को साबित करने के लिए नोटराइज किया गया है	
7	प्रस्ताव अनुसार फैकल्टी की विषय के प्रति समझ एवं ज्ञान	प्रस्तुति के आधार पर	लागू नहीं
8	अध्ययन सामग्री – हार्ड के साथ ही सॉफ्ट प्रति	अध्ययन सामग्री की सॉफ्ट और हार्ड प्रतियां	
9	असाइनमेंट के निष्पादन के लिए विस्तृत कार्य योजना	आवेदक द्वारा ईओआई के साथ प्रस्तुत कार्य योजना	
10	प्रस्तावित फैकल्टी की गुणवत्ता	ईओआई के साथ प्रदान किए गए प्रस्तावित फैकल्टी की सूची (प्रारूप के अनुसार – 5 बी)	

प्रारूप – 4 : सीए प्रमाणपत्र का प्रारूप
(सीए फर्म के लेटर हेड में जारी किया जाना है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि **M / s ________** के द्वारा प्रस्तुत निम्न जानकारिया एवं स्पष्टीकरण हमारी जानकारी के अनुसार के सत्य एवं सही हैं।

वर्ष	कक्षा	दर्ज विद्यार्थी की संख्या	उत्तीर्ण छात्र	उत्तीर्ण %	कुल आय (टर्न ओवर)
2015-2016	Class X				<<Single Figure>>
2016-2017	Class X				<<Single Figure>>
2017-2018	Class X				<<Single Figure>>
Total					

Note 1: ऐसे फर्म जिनका वित्तीय वर्ष 2017–18 का आंकड़ा तैयार नहीं हो तो वे वित्तीय वर्ष 2014–15 का प्रस्तुत कर सकते है।.

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर
फर्म के C.A. का नाम एवं पंजीकरण संख्या
प्रमाणीकृत सदस्यों का नाम एवं सदस्यता क्रमांक

प्रारूप – 5 A : वर्तमान फैकल्टी

क्र.	फैकल्टी का नाम	योग्यता	डिग्री प्रदान करने वाली संस्था का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	% अंक	अनुभव (वर्षो में)	विषय विशेषज्ञता
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रारूप – 5 B : प्रस्तावित फैकल्टी

क्र.	फैकल्टी का नाम	योग्यता	संस्थान का नाम जिस से डिग्री प्राप्त हुई	उत्तीर्ण होने का वर्ष	% अंक	अनुभव (वर्षो)	विशेषज्ञता का विषय
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट : प्रस्तावित संकाय के प्रतिस्थापन/प्रतिस्थापन केपीआई – 5 के अनुसार कटौती की जा सकती है।

प्रारूप – 6ः वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप
(आवेदक के लेटर हेड में जारी किया जाना है)

शैक्षणिक वर्ष 2018–2019 और 2019–2020 के लिए ''फाउंडेशन प्रयास स्कूल'' में फैकल्टी प्रदान करने के लिए एजेंसी के चयन के लिए वित्तीय बोली (बिड), रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के नोटिस के जवाब में दिनांक ––––––––––

विद्यालय का नाम (जिनके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है): ––––––––––––––––––––––––––––––––––

क्र.	कार्य का नाम	सभी समावेशी (जीएसटी को छोड़कर) दो शैक्षणिक वर्षों के लिए छात्र प्रति समेकित दर जैसे। 2018–2019 और 2019–2020 (रुपये में राशि)	राशि शब्दों में
1	2	3	4
1	ईओआई में परिभाषित कार्य के क्षेत्र के अनुसार		

ध्यान दें :
1. उपर्युक्त मूल्य जीएसटी छोडकर होना चाहिए।
2. मूल्य बोलियां जमा करने की तारीख से 180 दिनों की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
3. मूल्य बोली(बिड) में ओवरराइटिंग/सुधार के मामले में, इसे खारिज किया जा सकता है।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
पद
कार्यालयीन मुहर